

प्रारूप-झ (संलग्नक-9)

अग्नि एवं जीवन सुरक्षाप्रमाण पत्र का नवीनीकरण

यूआईडी संख्या: UPFS/2021/37651/SBD/SONBHADRA/676/CFO

दिनांक: 27-09-2024

प्रमाणित किया जाता है कि मैसर्स **PUSHPANJALI CONVENT SCHOOL** (भवन/प्रतिष्ठान का नाम) पता **NA,AAMDIH HINAUTA MADHUPUR,ROBERTSGANJ** तहसील - **ROBERTSGANJ** जिसमें

ब्लॉक/टावर	तलों की संख्या	बेसमेन्ट की संख्या	ऊँचाई
PUSHPANJALI CONVENT SCHOOL	2	0	6.70 mt.

तथा प्लॉट एरिया **7583.64 sq.mt** है। भवन का अधिभोग **PUSHPANJALI CONVENT SCHOOL** (भवन स्वामी/ अधिभोगी अथवा कम्पनी का नाम) द्वारा किया जा रहा है। इनके द्वारा भवन में अग्नि निवारण एवं अग्नि सुरक्षा व्यवस्थायें एन0बी0सी0 एवं तत्संबंधी भारतीय मानक व्यूरो के आई0एस0 के अनुसार भवन में स्थापित व्यवस्थाओं का अनुरक्षण किया जा रहा है। जिसका निरीक्षण द्वारा दिनांक **14-06-2025** को भवन स्वामी के प्रतिनिधि श्री **OMPRAKASH SINGH E-Mail ID-Pushpanjaliconventschool@gmail.com** **Mobile No. : 9415873760** के साथ किया गया तथा भवन में अधिष्ठापित अग्नि एवं जीवन सुरक्षा व्यवस्थाओं को मानकों के अनुसार यथास्थिति में पाया गया। अतः प्रश्नगत भवन को अग्नि एवं जीवन सुरक्षाप्रमाण पत्र का नवीनीकरण (Renewal of Fire & Life Safety Certificate)(एन0बी0सी0 की अधिभोग श्रेणी) **Educational** के अन्तर्गत वैधता तिथि **14-06-2025** से **13-06-2028** तक **3** वर्षों के लिये इस शर्त के साथ दिया जा रहा है कि भवन में सभी मानकों का अनुपालन किया जायेगा तथा भवन के इस प्रमाण पत्र का नवीनीकरण निर्धारित समयवधि के अन्तर्गत पुनः कराया जायेगा तथा नवीनीकरण से पूर्व भवन में स्थापित अग्निशमन व्यवस्थाओं को क्रियाशील रखने की जिम्मेदारी आपकी होगी।

Note : As per report of FSSO, NOC is being approved provided that, following directives must be adhered to:

- 1.Exit passage leading to stair shall be kept clear & free from lock & keys.
- 2.All fire safety arrangements shall be maintained in good working condition at all times.
- 3.Any loss of life or property due to non-functional fire safety measures shall be at the risk and responsibility of the management.
- 4.Basement (if any) shall be used strictly as per building by laws.
- 5.Trained staff should be available round the clock.
- 6.Electrical Audits & maintenance should be carried out regularly.
- 7.Owner/occupier shall submit a declaration bi-annual in form A-8 of U.P F&ES rules 2024.

"यह प्रमाण-पत्र आपके द्वारा प्रस्तुत अभिलेखा, सूचनाओं के आधार पर निर्गत किया जा रहा है। इनके असत्य पाए जाने पर निर्गत प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होगा। यह प्रमाण-पत्र भूमि / भवन के स्वामित्व / अधिभोग को प्रमाणित नहीं करता है।"

हस्ताक्षर (निर्गमन अधिकारी)

(मुख्य अग्निशमन अधिकारी)



Digitally Signed By
(Shreeram Sahni)

[1723F5D6DA0E9707670287E5E77E227B283E7A66]

14-06-2025

निर्गत किये जाने का दिनांक : 14-06-2025

स्थान : SONBHADRA